मुख्य अभियंता का कार्यालय,
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ), लघु जल संसाधन विभाग,
जल भवन, तृतीय तल्ला, राईडिंग रोड शेखपुरा, पटना–14

ईमेल– ce.pmg-bih@gov.in दूरभाष– 0612–2215035

संचिका सं0:–मु0अ0 / ल0ज0सं0(पी0एम0जी0)– कालीकृत–689 / 2025– 08 / पटना, दिनांकः– 29/01/2026

आदेश

लघु सिंचाई प्रमंडल, बेतिया के निविदा आमंत्रण सूचना सं0–01 / 2024–25 के ग्रुप सं0–02 सिंधी नाला चेक डैम, ननकार चेक डैम एवं सुरजपुरा चेक डैम का निर्माण कार्य मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–348 दिनांक–07.03.2025 द्वारा संवेदक श्री किशोर कुमार सिंह, पिता–श्री ज्वाला प्रसाद सिंह, क्षत्रीय नगर, पो0+थाना–औरंगाबाद, जिला–औरंगाबाद, पिन कोड–824101 को आवंटित किया गया एवं संवेदक द्वारा निविदा में संलग्न किये गये अनुभव प्रमाण–पत्र की जॉच एकरारनामा से पूर्व कराने हेतु मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–422 दिनांक–24.03.2025 के द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, बेतिया के पत्रांक–269 दिनांक–28.03.2025 द्वारा कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गयाजी को अनुभव प्रमाण–पत्र की सत्यता की जॉच हेतु पत्राचार किया गया। कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गयाजी के पत्रांक–1265 दिनांक–07.04.2025 के द्वारा उनके कार्यालय से निर्गत अनुभव प्रमाण–पत्र (पत्रांक–2922 दिनांक–23.11.2024) की छायाप्रति उपलब्ध कराया गया। संवेदक द्वारा निविदा में अपलोड अनुभव प्रमाण–पत्र एवं कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गयाजी द्वारा उपलब्ध कराया गया अनुभव प्रमाण–पत्र जो संवेदक श्री किशोर कुमार सिंह के नाम से ही निर्गत है, में अंकित कार्य की मात्रा एवं राशि में भिन्नता पायी गयी, जिससे स्पष्ट है कि संवेदक द्वारा निविदा में अपलोड किये गये अनुभव प्रमाण–पत्र में छेड़–छाड़ किया गया है। निविदा प्राप्त करने के लिए गलत कागजात समर्पित करने के कारण संवेदक किशोर कुमार सिंह को विभागीय पत्रांक–272 (मो0) दिनांक–10.02.2025 के तहत आवंटित कार्य को विभागीय पत्रांक–422 (मो0) दिनांक–30.04.2025 द्वारा प्राप्त दिनांक–30.04.2025 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही में लिये गये निर्णय के आलोक में मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–578 दिनांक–02.05.2025 द्वारा रद्द कर दिया गया एवं दिनांक–30.04.2025 को संपन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, बेतिया के पत्रांक–1078 दिनांक–12.11.2025 एवं अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–843 दिनांक–21.11.2025 द्वारा संवेदक को कालीकृत करने हेतु भेजे गये प्रस्ताव के क्रम में मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–1923 दिनांक–25.11.2025 द्वारा संवेदक श्री किशोर कुमार सिंह को कालीकृत करने हेतु विहित प्रपत्र में प्रस्ताव अनुशंसा के साथ इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया। उक्त प्रस्ताव के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक–1281 दिनांक–11.12.2025 द्वारा बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के नियम 11 (ख) के तहत संवेदक से कारण पृच्छा की गयी, जिसका जबाव अप्राप्त रहने की स्थिति में इस कार्यालय के पत्रांक–79 दिनांक–13.01.2026 द्वारा संवेदक को कारण पृच्छा का जबाव उपलब्ध कराने हेतु अंतिम रूप से स्मारित किया गया, जिसके अनुपालन में संवेदक का स्पष्टीकरण का जबाव दिनांक– 13.01.2026 प्राप्त हुआ है, जिसमें उनके द्वारा यह कहते हुये कि "विचाराधीन निविदा, अर्थात बांधो के निर्माण के संबंध में पत्रांक–348 दिनांक– 07.03.2025 द्वारा मुझे एल 1 घोषित किया गया था एवं 3.99 प्रतिशत की दर पर कार्य मेरे पक्ष में आवंटित किया गया था। कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, बेतिया द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना सं0–01 / 2024–25 आमंत्रित की गयी थी एवं सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद विभाग द्वारा मेरे तकनीकी और वित्तीय बिड पर विचार किया गया एवं उक्त कार्य मेरे पक्ष में आवंटित किया गया। जिस दिन निविदा मेरे पक्ष में आवंटित की गयी तथा पत्रांक–348 दिनांक–07.03.2025 निर्गत किया गया था, उस दिन किसी भी विभाग द्वारा उनके विरूद्ध कालीकृत करने का कोई आदेश निर्गत नहीं किया गया था। यह सर्वमान्य कानून है कि किसी भी ठेकेदार के पक्ष में निविदा का निर्णय करते समय, जिस दिन निर्णय किया जाना है वह दिन प्रासंगिक तिथि होती है, न कि किसी अन्य निविदा के संबंध में बाद में होने वाला कोई

घटनाक्रम। जहॉ तक बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के नियम 11 (क) की उप कंडिका (vii) का संबंध है, निविदा आमंत्रण सूचना सं0– 01/2024–25 के मामले में यह लागू नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने (संवेदक) निविदा अपने पक्ष में प्राप्त करने के लिये कोई जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है,'' कारण पृच्छा का जबाव स्वीकृत करते हुये उक्त निविदा का कार्य उन्हें आवंटित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

संवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये उक्त जबाव को मान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि वर्णित योजनाओं की निविदा के निष्पादन के पश्चात संवेदक द्वारा संलग्न किये गये अनुभव प्रमाण–पत्र की सत्यता की जॉच में अनुभव प्रमाण–पत्र की मात्रा एवं राशि में छेड़–छाड़ किया जाना पाया गया है तथा यह किसी अन्य निविदा के संबंध में बाद में होनेवाला घटना क्रम भी नहीं है (जैसा की संवेदक द्वारा अपने स्पष्टीकरण में कहा गया है)। निविदा में फर्जी कागजात संलग्न किया जाना अपराधिक कृत्य के साथ–साथ निविदा आमंत्रण सूचना संख्या–01/2024–25 की कंडिका–21 का उल्लंघन भी है।

अतः वर्णित योजनाओं की निविदा में संवेदक द्वारा फर्जी (छेड़–छाड़ युक्त) अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न किये जाने के कारण सम्यक विचारोपरान्त संवेदक श्री किशोर कुमार सिंह, पिता–श्री ज्वाला प्रसाद सिंह, क्षत्रीय नगर, पो0+थाना–औरंगाबाद, जिला–औरंगाबाद, पिन कोड–824101 (निबंधन सं0–MWRD1224C1IN5284 श्रेणी–II) को बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली–2007 के नियम 11 (क) की उप कंडिका (vii) एवं पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के आदेश सं0–154 दिनांक–18.06.2015 की कंडिका 08 की उप कंडिका 04 के तहत अगले 10 (दस) वर्षो के लिये कालीकृत किया जाता है।

ह0/–
मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

पत्रांक– /पटना दिनांक–

प्रतिलिपि– संवेदक श्री किशोर कुमार सिंह, पिता–श्री ज्वाला प्रसाद सिंह, क्षत्रीय नगर, पो0+थाना–औरंगाबाद, जिला–औरंगाबाद, पिन कोड–824101 (निबंधन सं0–MWRD1224C1IN5284 श्रेणी–II), मो0–9473013771, ईमेल'–kksingh010123@gmail.com को सूचनार्थ प्रेषित

ह0/–
मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना

पत्रांक– 144 /पटना, दिनांक– 29/01/2026

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/सभी मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, .../सभी अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, .../सभी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, ...एवं आई0टी0 मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई0टी0 मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को निदेशित किया जाता है कि उक्त पत्र विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

29/01/026

मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना